अध्याय 2 (मैन्युअल बी-iv)

अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

(The norms set by it for the discharge of its functions)

विभाग की प्राथमिकताएं वनों का वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबंधन करना है ताकि जैव विविधता को बनाये रखते हुए वनों का संरक्षण व संवर्धन किया जा सके, नमी व भूमि का संरक्षण हो सके, स्थानीय जनता को उनकी आवश्यकता के वन उत्पाद यथासंभव प्राप्त हो सकें तथा वन आधारित उद्योगों को संवहनीय रूप से कच्चे माल की पूर्ति की जा सके एवं पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया जा सके। उपरोक्त दायित्वों की पूर्ति हेतु विभाग की निम्न प्राथमिकताएं निर्धारित की गई है :-

(1) वनों की सुरक्षा ।
(2) वनों का विकास तथा बिगड़े वनों का सुधार करते हुए उत्पादकता बढ़ाना ।
(3) जैव विविधता संरक्षण ।
(4) वनेत्तर भूमि पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना ।
(5) बिगड़ें वनों के सुधार हेतु पूंजी निवेश को बढ़ावा देना ।
(6) वैज्ञानिक विधि से वनों का समयबद्ध विदोहन कर वनोपज को समय से बाजार में उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना ।
(7) समय पर निस्तार प्रदाय की व्यवस्था करना ।
(8) भूमि स्वामी क्षेत्र पर उपलब्ध वनोपज के विदोहन एवं निवर्तन हेतु लाभकारी प्रणाली स्थापित करना।
(9) वनोपज के निवर्तन से राजस्व अर्जन करना ।
(10) उपरोक्त समस्त दायित्यों को पूर्ण करने हेतु वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन में जन भागीदारी सुनिश्चित करना।
(11) सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना ।

वन अधिकारी संगत अधिनियमों, नियमों, अनुदेशों तथा मेनुअल के अनुसार कर्तव्यों का निर्वहन करते है। इन अधिनियमों, नियमों आदि के संबंध में इस सूचना पुस्तिका में अन्यत्र वर्णन किया गया है। विभाग के अंतर्गत दूर-दराज के क्षेत्र में विभागीय कार्य स्थानीय उपलब्ध मजदूरों द्वारा सम्पन्न कराये जाते है। मजदूरी के भुगतान में राज्य शासन श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित दरों के अनुसार पालन किया जाता है तथा स्थानीय आवश्यकतानुसार संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक विभिन्न विभागीय कार्यो के लिये दरों का निर्धारण करते है। इन दरों की सूची संबंधित क्षेत्रीय वन संरक्षक एवं उनके अधीनस्थ कार्यरत वन मण्डलाधिकारी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।